	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों मे व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 25/7/22 को पेश हो।	
25/07/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादिया गैरहाजिर। वकील वादिया व वादिया को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी। बावजूद आवाजें दिलाने के वादिया व वादिया के अधिवक्ता गैरहाजिर। अतः उक्त उनवान प्रकरण वादिया की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:58 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलक्टर (SDO)महोदयजी

गुडामालानी – बाडमेर

वादीगण :–

बाडमेर गोल्डन सर्विस स्टेशन गाधव जरिये मालिक

1. किशोरकुमार पुत्र नारायणदास उम्र 52 वर्ष
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र किशोरकुमार उम्र 30 वर्ष
   जातियान सिन्धी निवासी गाधवकला,
   तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामाराम पुत्र भलाराम
2. भीमाराम पुत्र भलाराम
3. श्रीमति लेहरो पत्नी भलाराम
4. खेमाराम पुत्र धुडाराम जातियान कुंम्हार निवासी गाधवकला तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
5. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:58 IST
Reason: SelfAttested

मान्यवरजी,

निवेदन वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार से है :–

1. कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी मौजा गाधवकला पटवार हल्का गाधवकला तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर मे वादी के खेत खसरा नम्बर 310/144 रकबा 1.19 बीधा किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है। जिसे वाद के अग्रिम पदो में वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया जायेगें। वादग्रस्त आरजी के नक्शा व जमाबन्दी प्रसग हेतु सलग्न पेश है।
2. कि वादीगण की उक्त आराजी के पास ही प्रतिवादी सख्या 1 से 4 का खेत खसरा नम्बर 144/5 रकबा 3.09 बीधा, तथा खसरा नम्बर 144 रकबा 7.09 बिधा किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है। प्रसग हेतु नक्शा व जमाबन्दी सलग्न पेश है।
3. कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की अलग खातेदारी व कब्जा काश्त की है जिस परं वादीगण का कब्जा व काश्त है जिसमे वादीगण ने अपने रहवास हेतू रहवासीय तमीरात बना रखा है तथा जिसमे वादीगण शांति पुर्वक काश्त कर वादग्रस्त आराजी का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:58 IST
Reason: SelfAttested

4. कि प्रतिवादी व उसके परीवार [illegible] से वादीगण से हमेशा झगडा फसाद करते रहते है तथा वादीगण हमेशा ही गाव के मौजिज लोगो से समझाइश करवाकर निपटारा करता है क्यूकि वादीगण शाति प्रिय व्यक्ति है , सतोष मे विश्वास रखता है प्रतिवादी शुरू से ही वादीगण की सराफत का